

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ जयपुर
आदेश

S.B.Civil Miscellaneous Appeal No.2356/2018

आदेश दिनांक

20 जुलाई, 2018

माननीय न्यायाधिपति श्री बनवारी लाल शर्मा

श्री धन्ना राम अधिवक्ता- अपीलार्थी की ओर से

--

विद्वान् अधिवक्ता अपीलार्थी श्री धन्ना राम ने निवेदन किया है कि कार्यालय द्वारा लगाये गये आक्षेप का उन्होंने दिनांक 16.07.2018 को जवाब पेश कर दिया है, जो आज पत्रावली में शामिल नहीं है।

अतः कार्यालय इस सम्बन्ध में जांच कर यदि ऐसा कोई जवाब पेश किया गया है, तो उसे शामिल पत्रावली करे।

पत्रावली दो सप्ताह बाद पुनः न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध की जावे।

(न्याया बनवारी लाल शर्मा)